

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2018—माघ 10, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

अधि. क्र. 04-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर पालिक निगम इंदौर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिये उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगरपालिक निगम का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इंदौर	1	नगरपालिक निगम इंदौर.	1	श्री पूनम माली श्री रामकिशन माली 45 मालीपुरा 5, बिजलपुर, इंदौर
				2	श्रीमती संगीता सातालकर पिता श्री राजू सातालकर 149/सबनीसबाग 150, इंदौर
				3	श्री भारत रघुवंशी पिता श्री रामसिंह रघुवंशी डी 12/9 एमओजी लाईन, इंदौर.
				4	श्री अजय करोतिया पिता श्री जगदीश करोतिया 6, मरीमाता चौगहा, बीमा हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर
				5	श्री गब्बर उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवान सिंह रघुवंशी, 15/5 स्नेहलता गंज, इंदौर.
				6	श्री सुरेंद्र कुरवाडे पिता श्री मूलचंद कुरवाडे, वार्ड नं 27, मकान नं 561, बजरंग नगर इंदौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, उपसचिव.